फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में एयू फायनेंसियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर – 302001 (राज.), जरिये प्राधिकृत अधिकारी विरेन्द्र पाराशर पिता श्री कुंज बिहारी पाराशर, उम्र 41 वर्ष, मैनेजर एयू स्माल फयनेंस बैंक लिमिटेड, राजसमन्द (राज.)
–प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरिशंकर लौहार पिता श्री कालूलाल लौहार, निवासी 47, भाणुजा खुर्द, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद (राज.) – – –**ऋणी एवं बंधककर्ता**
   बंधक सम्पत्ति :–
   <u>श्री हरिशंकर लौहार पिता श्री कालूलाल लौहार,</u>
   प्लॉट नं. 048, छोटा भाणुजा, बडा भाणुजा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. श्रीमती सोना देवी लौहार पत्नी श्री हरिशंकर लौहार, निवासी छोटा भाणुजा, पोस्ट बडा भाणुजा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद (राज.) **–सहऋणी**
3. श्री किशन लाल लौहार पिता श्री डालुलाल लौहार, निवासी चुंगीनाका, पीपरडा, तहसील एवं जिला राजसमन्द (राज.) **– जमानती**

– विपक्षीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 32/2021**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.11.2021 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड राजसमन्द ने दिनांकः 03.08.2021 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी संख्या 1, एवं 2 ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 07.07.2016 को 6,00,000/– अक्षरे छः लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया था एवं विपक्षी संख्या 3 ने उक्त ऋण की जमानत दी थी। विपक्षी संख्या 1 द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति और उस पर निर्मित भवन एवं ढॉचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :– **बंधक सम्पत्ति का विवरण :–** हरिशंकर लौहार पिता श्री कालूलाल लौहार, प्लॉट नं. 048, छोटा भाणुजा, बडा भाणुजा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित सम्पत्ति, जिसमें भवन, भुमि एवं ढाचॉ आदि है, जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका नाम 1150.50 वर्गफीट है, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व :– दिनेश लौहार का बाडा, पश्चिम :– सोहन लाल का	

M

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

बाडा, उत्तर :– रास्ता, दक्षिण : गली। विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था में उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षीगण का खाता दिनांक 12.11.2020 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया।दिनांक 02.04.2021 को विपक्षीगण के खाते में बकाया राशि 3,25,090/– अक्षरे तीन लाख पच्चीस हजार निब्बे रूपये शेष व देय निकलते हैं। दिनांक 02.04.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 23.04.2021 का टंकित नोटिस विपक्षीगण को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति विपक्षीगण को होने के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया हैं। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कॉलम संख्या 3 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार धारा 14 में जो संशोधन हुआ, वो निम्न प्रकार से है :–

Inserted by Act 44 of 2016, Section 12(i) (w.e.f. 1-9-2016)

Provided further that on receiopt of affidavit from the Authorised Officer, the District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall after satisfying the contents of affidavit pass suitable orders for the purpose of taking possession of the secured assetes [within a period of thirty days from the date of application]

[Provided further that if no order is passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days.]

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 23.04.2021 को जारी किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :– हरिशंकर लौहार पिता श्री कालूलाल लौहार, प्लॉट नं. 048, छोटा भाणुजा, बडा भाणुजा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित सम्पत्ति, जिसमें भवन, भुमि एवं ढाचॉ आदि है, जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है, जिसका नाम 1150.50 वर्गफीट है, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व :– दिनेश लौहार का बाडा, पश्चिम :– सोहन लाल का बाडा, उत्तर :– रास्ता, दक्षिण : गली।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)